न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 15/2020 Gcms No. 2020/00041
दायरा तिथि : 24.06.2020
आदेश दिनांक: 29-10-2021

वादीगण :–

1. घीसूलाल पुत्र पुनारामजी
2. मांगीबाई पत्नी कूपाराम
3. हंसाराम पुत्र पुनारामजी तमाम जातिगण सीरवी (चौधरी) निवासीगण रमणीया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भीकसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
2. गैदाकुंवर पत्नी चैनसिंह
3. चांद कुवर पत्नी पृथ्वीसिंह
4. मूमल कुवर पुत्री चैनसिंह
5. ललिता कुवर पुत्री चैनसिंह
6. लोकेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह तमाम जातिगण राजपुत निवासीगण रमणीया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
7. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. श्री जितेश भंडारी व रविन्द्रसिंह राव — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री रताराम राठौड — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29-10-2021

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम रमणिया पटवार हल्का, गुडालस तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 135 रकबा 2.31 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर प्रतिवादी संख्या–01 से 06 के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 134 रकबा 1.9900 हैक्टर है। प्रतिवादीगण जबरदस्ती वादीगण के निजी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 135 में जबरन पट्टीया रोप कर जाली लगाकर तथा बीच रास्ते में ट्रैक्टर ट्रोली रखकर, तथा टेक्टर की कल्टी रखकर वादीगण को बेदखल करने की कोशिश कर रहे है। तथा वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण अवैद्य निर्माण कार्य करने पर भी आमादा हैं। जिससे वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू०भाग बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी किये जाने की मांग की गई। वादपत्र में उल्लेखित कथनो की पुष्टि में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखयी साक्ष्य खसरा नंबर 135 की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति, नजरी नक्शा, फोटो ग्राफ, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब, बाली की प्रतियॉ पेश की गई। वादीगण के वादपत्र में प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री रताराम चौधरी द्वारा दिनांक 27.07.2020 को वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये जबावदावा प्रस्तुती के लिये समय चाहा गया। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता को जबावदावा प्रस्तुती के लिये कई मर्तबा समय अवसर दिये जाने के बावजुद जबावदावा प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 27.07.2021 को सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार प्रतिवादी पक्ष का जबावदावे का अवसर बंद करते हुये पत्रावली को वादी पक्ष की मौखिक साक्ष्य के लिये रखा गया। दिनांक 03.08.2021 को वादी पक्ष द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने से वादी पक्ष की साक्ष्य का अवसर बंद करते हुये प्रकरण को प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। प्रतिवादी पक्ष को मौखिक साक्ष्य के लिये दो बार समय अवसर दिये जाने के बावजुद मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 24.08.2021 को प्रतिवादी पक्ष के मौखिक साक्ष्य का अवसर बंद करते हुये पत्रावली को फाईनल बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील वादी श्री रविन्द्रसिंह राव ने बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रमणिया के खसरा नंबर 135 वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हैं, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा जोर जबरदस्ती कांटो की बाड लगाकर व छीणो की पट्टीया रोपकर व जाली लगाकर बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं तथा अवैद्य निर्माण कर रहे है, जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित अधिवक्ता प्रतिवादी श्री रताराम राठौड द्वारा दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि प्रतिफल राशि वादीगण को अदाकरते हुये प्रतिवादीगण द्वारा जरिये लिखत के खरीद की गई हैं। जिससे वादीगण का वाद खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पेज लगातार......

उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 15/2020 Gcms No. 2020/00041

अनवान् घीसुलाल वगैरा बनाम भीकसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् पत्रावली को केम्प कोर्ट गुडालास में रखा गया। वर्णित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका निरीक्षण के समय निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा तैयार की गई मौका फर्द में मार्क ए से बी दो फाटके प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि में आने के लिये रखी होना वर्णित किया गया। इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में ये प्रमाणित तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रमणिया के खसरा नंबर 135 रकबा 2.31 हैक्टर किस्म बारानी वादीगण के खातेदारी की भूमि हैं। वादीगण के खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 135 में वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भाग में दखलन्दाजी करने से वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश किया हैं। तहसीलदार, बाली के प्रतिनिधियो द्वारा तैयार मौका फर्द के अनुसार प्रतिवादी चांदकंवर अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये खसरा नंबर 135 के उत्तरी दिशा के रास्ता से जाती है। इस सबंध में निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 29.10.2021 के अनुवार मार्क ए से बी भाग पर प्रतिवादी चांदकंवर द्वारा अवैद्य रूप से दो फाटके लगाई हुई है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता हैं कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 135 में जबरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा न तो जबावदावा पेश किया गया एवं न ही मौखिक साक्ष्य पेश किया गया। अपंजिकृत लिखत जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने तथा विधिक मान्यता नही होने से वकील प्रतिवादी की मांग तर्क संगत नहीं हैं।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम रमणिया पटवार हल्का, गुडालास में स्थित भूमि खसरा नंबर 135 के संबध में बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 29.10.2021 में वर्णित खसरा नंबर 135 के मार्क ए से बी भाग पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)